# भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

# सर्वग्राही अनुमोदन प्रदायगी सम्बन्धी मानदण्ड

संस्करण [1.0]

फरवरी 06, 2026

# विषय-सूची:


1. पृष्ठभूमि 3
2. उद्देश्य 3
3. परिभाषाएँ 3
4. सर्वग्राही अनुमोदन प्रदायगी सम्बन्धी मानदण्ड 3
5. छूट 4
6. लेखापरीक्षा समिति का विवेकाधिकार 4
7. मानदण्डों में परिवर्तन करने का प्राधिकार 4
8. नज़ीर लेने का कानून और संशोधन 5
9. मानदण्डों का प्रचार-प्रसार 5


# संस्करण नियंत्रण

| | |
|---|---|
| **प्रलेख का शीर्षक** | सर्वग्राही अनुमोदन प्रदायगी का मानदण्ड |
| **प्रलेख का संस्करण** | [1.0] |
| **प्रलेख का प्रभावी दिनांक** | [फरवरी 06, 2026] |
| **प्रलेख में विगत संशोधन का दिनांक** | [नया] |
| **प्रलेख में अगले संशोधन का दिनांक** | [प्रभावी होने के दिनांक से 3 वर्ष] |
| **प्रलेख का स्वामित्व** | [राजकोष वर्टिकल] |
| **प्रलेख अनुमोदन कर्ता** | लेखापरीक्षा समिति |

# 1. पृष्ठभूमि

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ("सिडबी" अथवा "बैंक") सूचीबद्ध संस्था है और इसके अपरिवर्तनीय ऋणपत्र एनएसई में सूचीबद्ध हैं। अतः इससे अपेक्षित है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा समय-समय पर जारी संगत परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन करे।

सूचीबद्धता विनियमों का विनियम 62के(4) उच्च मूल्य वाली ऋण सूचीबद्ध इकाई (एचवीडीएलई) को अधिदेशित करता है कि वह सम्बन्धित पक्ष संव्यवहारों (आरपीटी) के सर्वग्राही अनुमोदन के लिए ऐसे मानदण्ड निर्धारित करे, जो सम्बन्धित पक्ष संव्यवहारों के सम्बन्ध में एचवीडीएलई की नीति के अनुरूप हों। ऐसे अनुमोदन बार-बार होने वाले संव्यवहारों के सम्बन्ध में लागू होंगे।

तदनुसार, बैंक की लेखापरीक्षा समिति ने यह प्रलेख तैयार किया है, ताकि इसे आरपीटी के लिए लागू कानूनों के अनुसार सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त के रूप में प्रयोग किया जा सके।

# 2. उद्देश्य

इस प्रलेख में वे मानदण्ड तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त उल्लिखित हैं, जिनके अन्तर्गत लेखापरीक्षा समिति सम्बन्धित पक्ष संव्यवहारों के लिए सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान कर सकती है। इसका उद्देश्य ऐसे आरपीटी की अनुमोदन-प्रक्रिया में पारदर्शिता, स्थिरता तथा विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना है, जो बार-बार घटित होते हैं अथवा दुहराव के स्वरूप वाले हैं।

# 3. परिभाषाएँ

i. "लागू कानून" से आशय है, बैंक पर लागू ऐसे कानून, सांविधिक नियम एवं विनियम अथवा मानक, जिनके अन्तर्गत सम्बन्धित पक्ष संव्यवहारों के बारे में कोई दिशानिर्देश/ प्रावधान विनिर्दिष्ट हों;
ii. "बैंक" से आशय है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक;
iii. "सूचीबद्धता विनियम" भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;
iv. "सेबी" से आशय है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड;

यहाँ प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये पदबन्धों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 अथवा यथास्थिति किसी अन्य लागू कानून अथवा विनियम में अभिप्रेत हो।

# 4. सर्वग्राही अनुमोदन प्रदायगी सम्बन्धी मानदण्ड

लेखापरीक्षा समिति आरपीटी के लिए निम्नलिखित शर्तों पर सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान कर सकती है:

4.1. संव्यवहार की अधिकतम राशि: किसी एक पक्ष के साथ किसी वित्तीय वर्ष में सर्वग्राही अनुमोदन के अन्तर्गत सम्पन्न किए जानेवाले संव्यवहार की अधिकतम कुल राशि बोर्ड द्वारा बैंक के एक्सपोजर मानदण्डों के अनुसार निर्धारित की गयी राशि (यदि हो) से अधिक नहीं होगी।

4.2. समीक्षा और निगरानी

i. सर्वग्राही अनुमोदन के फलस्वरूप सम्पन्न सभी आरपीटी की लेखापरीक्षा समिति द्वारा तिमाही आधार पर समीक्षा की जाएगी।

ii. लेखापरीक्षा समिति आकलन करेगी कि ऐसे संव्यवहार बैंक के हित में और अनुमोदित नीति के अनुरूप हैं अथवा नहीं।

4.3. वैधता: सर्वग्राही अनुमोदन अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेंगे और व्यपगत होने के पश्चात् उनके लिए नये अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

4.4. अपेक्षित प्रकटन: सर्वग्राही अनुमोदन का अनुरोध करते समय लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और विचारार्थ निम्नलिखित न्यूनतम सूचना अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी:

i. सम्बन्धित पक्षा का/ के नाम;

ii. संव्यवहार का स्वरूप और अवधि/ मीयाद;

iii. संव्यवहार की अधिकतम राशि;

iv. सांकेतिक आधार मूल्य अथवा वर्तमान संविदा-मूल्य तथा यदि अन्तर हो तो उसका फॉर्मूला;

v. अन्य कोई प्रासंगिक सूचना जिसे लेखापरीक्षा समिति आवश्यक समझती हो।

4.5. निषेध: निम्नलिखित के लिए सर्वग्राही अनुमोदन नहीं दिया जाएगा:

i. जो संव्यवहार सामान्य व्यवसाय के क्रम में न हों;

ii. जो संव्यवहार निष्पक्ष न हों;

iii. जिन संव्यवहारों में आरपीटी की आवश्यकता का पूर्वानुमान न किया जा सके और अपेक्षित विवरण उपलब्ध न हों, सिवाय उनके जहाँ प्रति संव्यवहार राशि ₹1 करोड़ से अधिक न हो।

# 5. छूट

सर्वग्राही अनुमोदन के प्रावधान निम्नलिखित के मध्य सम्पन्न संव्यवहारों पर लागू नहीं होंगे:

i. सिडबी और उसके पूर्व स्वामित्व वाली संस्थाएँ

ii. सिडबी के पूर्व स्वामित्व वाली दो संस्थाएँ

# 6. लेखापरीक्षा समिति का विवेकाधिकार

लेखापरीक्षा समिति ऐसे सर्वग्राही अनुमोदन की आवश्यकता तथा ऐसे अनुमोदन के बैंक-हित में होने के बारे में अपनी संतुष्टि करेगी। समिति ऐसी अतिरिक्त शर्तें भी विनिर्दिष्ट करेगी, जो उसे उचित लगें।

# 7. **मानदण्डों में परिवर्तन करने का प्राधिकार**

समिति इन मानदण्डों में उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत है। नीति में किये गये सभी बदलाव सूचीबद्धता विनियम तथा अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

## 8. नज़ीर लेने का कानून और संशोधन

इन मानदण्डों तथा लागू कानून में विसंगति की स्थिति में, कानून के प्रचलित प्रावधान लागू होंगे, और ये मानदण्ड ऐसे कानूनों के अनुरूप होने की यथावश्यक सीमा तक संशोधित माने जाएँगे।

## 9. मानदण्डों का प्रचार-प्रसार

यह प्रलेख लेखापरीक्षा समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जाएगा और सन्दर्भ तथा अनुपालन के उद्देश्य से सदैव उपलब्ध रहेगा।

***